आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Other Backward Bahujan Welfare Department

Kanyadan Yojana for Backward Class Couples at Mass Marriage Ceremonies (OBC Bahujan Welfare)

महाराष्ट्र सरकार सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाले पिछड़े वर्ग के जोड़ों को वस्तुओं के रूप में 25,000 रुपये का अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले पिछड़े वर्ग के नवविवाहित जोड़ों को वस्तु के रूप में 25,000 रुपये का अनुदान मिलता है। सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाली पात्र स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रति जोड़ा 4,000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलता है।

किसके लिए है

सामूहिक विवाह समारोह में पहली बार शादी करने वाले पिछड़े वर्ग के नवविवाहित जोड़े और दोबारा शादी करने वाली विधवा महिला।

मुख्य शर्तें

- जोड़ा पिछड़े वर्ग का हो और अपने पहले विवाह के लिए सामूहिक विवाह समारोह में भाग ले।
- दूसरी बार विवाह करने वाली विधवा महिला भी पात्र है।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी है।

दस्तावेज़

- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. सामूहिक विवाह समारोह में भाग लें और विवाह का पंजीकरण कराएँ।
2. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ अपने जिले के सहायक निदेशक, इतर मागास बहुजन कल्याण को आवेदन दें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in/scheme/%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-obc-kanyadan-mass-marriage-grant/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।